



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275102
CG-DL-E-04082026-275102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4055]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 4055]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

का.आ. 4225(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में जीएम#14 से जीएम#15 /न्यू आरओयू /2025-2026 प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओएन.जीसी लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिय यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इससे उपावद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जब से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, और स्पेशल उप जिला अधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजमुंदरी एसट / के.जि.बेसिन्, गोदावरी भवन, बेस कॉम्प्लेक्स, राजमुंदरी पिन 533106- आन्ध्रप्रदेश को लिखित रूप में आपत्ति भेज सकता है।

अनुसूची

आर.ओ.यु. पाइपलाईन "जीएम #14 से जीएम #15 /आरओयू/2025-2026".

मंडल:	गाँव:	ज़िला:	राज्य: आन्ध्र प्रदेश		
		डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा			
क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
उप्पलगुप्तम	कूनवरम	217/1D	0	1	126
		217/1E	0	3	330
		217/1F	0	2	213
		217/2a	0	3	279
		217/2b1	0	3	330
		217/2b2	0	2	180
कुल योग			0	14	1458

[फा. सं. इएक्सपीएल -13011(26)/70/2017-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-15902)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

S.O. 4225(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from **GM#14 to GM#15 /NEW ROU/2025-2026** a pipeline should be laid in the State of Andhra Pradesh by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

AND whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any Person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to Special Grade

Deputy Collector and Competent Authority, Oil & Natural Gas Corporation Ltd., Rajahmundry Asset/K.G.Basin, Godavari Bhavan, Base Complex, Rajahmundry – 533 106, Andhra Pradesh.

SCHEDULE**ROU PIPELINE FROM “GM#14 to GM#15 Cluster/ROU/2025-2026”**

Name of the Mandal	Name of the Village	District Dr.B.R.Ambedkar Konaseema	State Andhra Pradesh		
		Survey Number	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
UPPALAGUPTAM	KUNAVARAM	217/1D	0	1	126
		217/1E	0	3	330
		217/1F	0	2	213
		217/2a	0	3	279
		217/2b1	0	3	330
		217/2b2	0	2	180
GRAND TOTAL			0	14	1458

[F. No. Expl-13011(26)/70/2017-EXPL-PNG (E-15902)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.